प्रकरण संख्या 08/2016 2016/00008 निर्णय दिनांक 04.02.2019

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्नूमल पहाडिया

कृपाल सिंह पुत्र स्व. श्री सवाई सिंह आयु 64 साल जाति राजपूत निवासी ग्राम मैंगरी तहसील मासलपुर जिला करौली (राज0) ..... अपीलाण्ट

बनाम

तहसीलदार भू–अभिलेख तहसील करौली जिला करौली (राज0) ..... रेस्पोण्डेण्ट

अपील नामान्तकरण विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 1495 दिनांक 25.06.2011 न्यायालय तहसीलदार भू–अभिलेख करौली जिसकी रूह से अपीलार्थी के हक में भरे गये नामान्तकरण को निरस्त किया गया।

निर्णय

दिनांक 04.02.2019

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट्स ने यह अपील पेश कर निवेदन किया है कि आदेश दिनांक 25.06.2011 जिसकी रूह से अपीलार्थी के पक्ष में भरे गये नामान्तकरण को निरस्त किया गया है, वह आरवीट्रेरी, अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना, परवर्स तथा रिकॉर्ड की अनदेखी करके पारित किया जाने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी द्वारा आराजी ख.नं. 2982 रकवा 1 बीघा 3 विस्वा को उक्त आराजी के साविक खातेदारान् कल्याण व गिर्राज पुत्रान शिव्वु से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है। अपीलार्थी द्वारा खरीदी गई आराजी के साबिक खातेदारान् की जाति राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में जोशी सहवन गलत दर्ज कर दी गई तथा नामान्तकरण के समय पटवारी हल्का द्वारा विक्रेतागण की जाति विक्रय पत्र एवं जमाबंदी में पृथक–पृथक होने के आधार पर आपत्ति दर्ज किये जाने से इसी आधार पर नामान्तकरण खारिज किया गया है जबकि विक्रेतागण की जाति सदैव से जोगी ही रही है किन्तु इस पक्ष को भुला कर पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर नामान्तकरण खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि की गंभीर भूल की है। पंजीबद्ध विक्रय पत्र में विक्रेतागण की जाति जोगी होना दर्ज है जबकि जमाबंदी में राजस्वकर्मियो की गलती से विक्रेतागण खातेदारान की जाति जोशी दर्ज हुई, ऐसी सूरत में अधीनस्थ न्यायालय को नामान्तकरण खारिज करने से पूर्व इस बाबत पुराने रिकॉर्ड से मिलान कर आदेश पारित करना चाहिये था किन्तु इस प्रक्रिया की अनदेखी कर नामान्तकरण खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि की गम्भीर भूल की गई है। आराजी खसरा नम्बर 2982 रकवा 1 बीघा 3 विस्वा वाके ग्राम फतेहपुर के खातेदारान की जाति बाबत शुद्धिकरण जमाबंदी संख्या 2067 से 2070 में जरिये शुद्धि पत्र सं. 5 दिनांक 02.09.2013 को किया जा चुका है। परिणामस्वरूप नामान्तकरण आदेश दिनांक 25.06.2011 अधीनस्थ न्यायालय को अपास्त कर प्रकरण पुनः निर्णय हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किया जाना कानूनन आवश्यक है। नामान्तकरण आदेश दिनांक 25.06.2011 प्रार्थी की अनुपस्थिति में प्रार्थी बगैर सुनबाई का अवसर दिये पारित किया गया है। इस कारण अब से पूर्व अपीलार्थी को इसकी जानकारी नहीं थी अब जानकारी होते ही अपील पेश की जा रही है। अपील पेश करने में हुये बिलम्व को प्रार्थी धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत माफ कराने का अधिकारी है। जिसके लिये पृथक से प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर आदेश अधीनस्थ न्यायालय अपास्त फरमाया जाकर अपीलार्थी को सुनकर नामान्तकरण का विधि अनुसार किये जाने के निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड फरमाया जाने का निवेदन किया है।

अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोण्डेण्ट्स की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। पटवारी हल्का की नामांतरकरण जिल्द तलब कर शामिल पत्रावली की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

जिला कलक्टर
करौली

वकील अपीलाण्ट्स ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि अपीलार्थी द्वारा आराजी ख.नं. 2982 रकवा 1 बीघा 3 विस्वा को उक्त आराजी के साविक खातेदारान् कल्याण व गिर्राज पुत्रान शिव्वु से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है। अपीलार्थी द्वारा खरीदी गई आराजी के साबिक खातेदारान् की जाति राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में जोशी सहवन से गलत दर्ज कर दी गई तथा नामान्तकरण के समय पटवारी हल्का द्वारा विक्रेतागण की जाति विक्रय पत्र एवं जमाबंदी में पृथक–पृथक होने के आधार पर आपत्ति दर्ज किये जाने से नामान्तकरण खारिज किया गया है जबकि विक्रेतागण की जाति सदैव से जोगी ही रही है किन्तु इस पक्ष को भुला कर पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर नामान्तकरण खारिज कर खारिज कर दिया है। पंजीबद्ध विक्रय पत्र में विक्रेतागण की जाति जोगी होना दर्ज है जबकि जमाबंदी में राजस्वकर्मियो की गलती से विक्रेतागण खातेदारान की जाति जोशी दर्ज हुई, ऐसी सूरत में अधीनस्थ न्यायालय को नामान्तकरण खारिज करने से पूर्व इस बाबत पुराने रिकॉर्ड से मिलान कर आदेश पारित करना चाहिये था किन्तु इस प्रक्रिया की अनदेखी कर नामान्तकरण खारिज कर दिया गया है। आराजी खसरा नम्बर 2982 रकवा 1 बीघा 3 विस्वा वाके ग्राम फतेहपुर के खातेदारान की जाति बाबत शुद्धिकरण जमाबंदी संख्या 2067 से 2070 में जरिये शुद्धि पत्र सं. 5 दिनांक 02.09.2013 को किया जा चुका है। परिणामस्वरूप नामान्तकरण आदेश दिनांक 25.06.2011 अधीनस्थ न्यायालय को अपास्त कर प्रकरण पुनः निर्णय हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किया जाना कानूनन आवश्यक है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का कथन किया है।

पैरोकार सरकार का बहस में कथन किया है कि आराजी ख.नं. 2982 रकवा 1 बीघा 3 विस्वा के साविक खातेदारान् कल्याण व गिर्राज पुत्रान शिव्वु की जाति जोशी दर्ज थी एवं विक्रयपत्र में खातेदारान की जाति जोशी (जंगम) दर्ज होने के कारण नामांतरकरण विधिक प्रक्रिया अनुसार खारिज किया गया है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का कथन किया है।

बहस उभयपक्ष एवं पत्रावली का अवलोकन कर मनन किया गया। मुताबिक तत्कालीन जमाबंदी ग्राम मैंगरी तहसील मासलपुर आराजी ख.नं. 2982 रकवा 1 बीघा 3 विस्वा के साविक खातेदारान् कल्याण व गिर्राज पुत्रान शिव्वु की जाति जोशी दर्ज थी जबकि विक्रय पत्र में साबिक खातेदारान की जाति जोशी (जंगम) दर्ज है। उक्त आराजी के साविक खातेदारान की जाति शुद्धिकरण जमाबंदी संख्या 2067 से 2070 में जरिये शुद्धि पत्र सं. 5 दिनांक 02.09.2013 को किया जा चुका है। अतः अपील अपीलाण्ट को रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर तहसीलदार मासलपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह प्रकरण में पुनः जांच कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करे। पटवारी हल्का से तलब की गई नामांतरकरण जिल्द को जरिये तहसीलदार मासलपुर भिजवाया जावे एवं निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.02.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
करौली